

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25212/2020-21

दिनांक : 16.3.22

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)  
मुख्यालय, कोटा

विषय : माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अन्तर जिला शैक्षिक एवं सांस्कृतिक भ्रमण हेतु बकाया राशि का आवंटन वर्ष 2021-22

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निम्न कार्यालय को अन्तर जिला शैक्षिक एवं सांस्कृतिक भ्रमण हेतु आवंटन बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय, (14)-सांस्कृतिक शिक्षा भ्रमण, 29-प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय (राज्य निधि) में निम्नांकित को उनकी मांग अनुसार राशि का आवंटन **वित्तीय वर्ष 2019-20 के बकाया दायित्वों** हेतु किया जाता है। राशि का व्यय निम्नानुसार किया जावे :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	आफिस आई.डी.	29-सहायतार्थ अनुदान
1	KOTA	21597	76000
TOTAL			76000

(अखरे रूपय छियत्तर हजार मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का उपयोग निदेशालय के पत्रांक शिविरा-माध्य/छात्रवृत्ति/सैल-ई/शैक्षिक भ्रमण/19-20 दिनांक 09.09.09 एवं समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जावे।
2. उक्त आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु किया गया है। अतः सम्बन्धित वर्ष के दायित्वों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावे।

सत्यमेव जयते

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25212/2020-21  
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, -----
4. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
5. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक : 16.3.22

लेखाधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25212/2020-21

दिनांक : 16.3.22

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)  
माध्यमिक शिक्षा  
बारां, सवाई माधोपुर

विषय : कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को एसटीडीआर योजना के तहत बजट आवंटन।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को परीक्षाएं उत्तीर्ण करने हेतु एसटीडीआर योजना के तहत मांग संख्या-24 निम्नांकित बजट मदों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अध्ययनरत् छात्राओं को राज्य निधि के अन्तर्गत विस्तृत मद-57-विभागों की विशिष्ट सेवाओं के लिए संदाय में आपके कार्यालय को मांग अनुसार राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए किया जाता है। आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार किया जावे।

क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	बजट मद	प्रत्याहरित राशि	आवंटन राशि
1	SAWAI MADHOPUR	8468	2202-02-109-10-00-57	2000	-
2	BARAN	21800	2202-02-109-10-00-57	-	2000
<b>TOTAL</b>				<b>2000</b>	

(अखरे रूपये दो हजार मात्र)

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25212/2020-21

प्रतिलिपि :-

1. कोषाधिकारी, जिला कोषालय,.....
2. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, -----
4. अनुभाग अधिकारी,(योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
5. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक 16.3.22

लेखाधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25212/2020-21

दिनांक : 16.3.22

जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा  
अजमेर, झालावाड़, झुंझुनू, पाली

विषय : भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवंटन वर्ष 2021-22

उपर्युक्त विषयान्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों के लिए छात्रवृत्ति को सत्र 2021-22 के लिए बजट आवंटन राज्य निधि का वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नांकित जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक शिक्षा) को लेखामद 2202-02-107-10-00 13 राज्य निधि में उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	आफिस आई.डी.	लाभार्थियों की संख्या	बजट आवंटन (राशि रूपयों में)
1	AJMER	16289	4	4000
2	JHALAWAR	22087	1	1000
3	JHUNJHUNUN	5349	3	3000
4	PALI	15571	6	6000
TOTAL			14	14000

(अखरे रूपय चौदह हजार मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

- राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
- छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों/दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
- छात्रवृत्ति की राशि का वितरण सम्बन्धित द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि सीधे जमा करवाई जावे।
- अतिरिक्त राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए किया गया है। वंचित रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।
- किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को आंशिक भुगतान नहीं किया जावे।
- दिनांक 22.03.2022 तक छात्रवृत्ति का पूर्ण वितरण किया जाना सुनिश्चित करावें।

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25212/2020-21

प्रतिलिपि :-

- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
- सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
- उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, -----
- लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
- अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
- प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
- रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर  
दिनांक 16.3.22

लेखाधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/बजट/बी-3/25250/2021-22/

दिनांक:- 16-03-22

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)  
माध्यमिक.....

विषय:- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के शेष पुनर्भरण राशि हेतु बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2021-22

प्रसंग:- उपनिदेशक (आरटीई), प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के अ.टि. क्रमांक शिविरा/मा-प्रारं/आरटीई/60338/बजट/2022 दिनांक 15.03.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के पुनर्भरण हेतु प्रासंगिक अ.टि. के क्रम में निम्न कार्यालयों को नीचे लिखे लेखामदों में उनके सामने अंकितानुसार राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए किया जाता है। राशि का व्यय नियमानुसार तथा RTE अनुभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावे।

लेखामद :- 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 800-अन्य व्यय (14)-शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुनर्भरण, 57-विभागों की विशिष्ट सेवाओं के लिये सहायता (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

क्र.सं.	ऑफिस आईडी	कार्यालय का नाम	केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि	कुल आवंटित राशि
1	21800	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., BARAN	0	6000000	6000000
2	7236	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., BHARATPUR	0	15000000	15000000
3	18401	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., RAJSAMAND	0	4000000	4000000
TOTAL			0	25000000	25000000

57-अक्षरे रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र।

सत्यमेव जयते

वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक:- 16-03-22

क्रमांक:-शिविरा/बजट/बी-3/25250/2021-22/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, .....
3. कोषाधिकारी, जिला कोषालय, .....
4. उपनिदेशक(आरटीई), प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रासंगिक अ.टि. के क्रम में।
5. सिस्टम अनालिस्ट, विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
6. सहायक निदेशक (पीएसपीसी/आरटीई) कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/बजट/बी-3/25250/2021-22/

दिनांक:- 16-03-22

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)  
माध्यमिक.....

विषय:- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के शेष पुनर्भरण राशि हेतु बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2021-22

प्रसंग:- उपनिदेशक (आरटीई), प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के अ.टि. क्रमांक शिविरा/मा-प्रारं/आरटीई/60338/बजट/2022 दिनांक 16.03.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के पुनर्भरण हेतु प्रासंगिक अ.टि. के क्रम में निम्न कार्यालयों को नीचे लिखे लेखामदों में उनके सामने अंकितानुसार राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए किया जाता है। राशि का व्यय नियमानुसार तथा RTE अनभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावे।

लेखामद :- 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 800-अन्य व्यय (14)-शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुनर्भरण, 57-विभागों की विशिष्ट सेवाओं के लिये संदाय (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

क्र.सं.	ऑफिस आईडी	कार्यालय का नाम	केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि	कुल आवंटित राशि
1	7576	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., DHOLPUR	0	4000000	4000000
2	21402	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., CHITTORGARH	0	5000000	5000000
3	3282	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., HANUMANGARH	0	15000000	15000000
4	13291	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., JAISALMER	0	7000000	7000000
5	8468	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., SAWAIMADHOPUR	0	1600000	1600000
TOTAL			0	32600000	32600000

57-अक्षरे रूपये तीन करोड़ छब्बीस लाख मात्र।

सत्यमेव जयते  
वि.सहा.कार  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक:- 16-03-22

क्रमांक:-शिविरा/बजट/बी-3/25250/2021-22/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, .....
3. कोषाधिकारी, जिला कोषालय, .....
4. उपनिदेशक(आरटीई), प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रासंगिक अ.टि. के क्रम में।
5. सिस्टम अनालिस्ट, विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
6. सहायक निदेशक (पीएसपीसी/आरटीई) कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर